सं0 4/डी.पी.आर.(आर.एन.आई.)
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

दिनांक:- 11 अक्तूबर, 2018

कार्यालय आदेश

प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 की धारा 19 डी. के अनुसार प्रत्येक समाचारपत्र के प्रकाशक की यह जिम्मेदारी है कि वह समाचार के संदर्भ में प्रेस पंजीयक को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करे तथा धारा 19 के. के अनुसार धारा 19 डी. के उल्लंघन के लिए प्रकाशक को 500/- रूपये तक जुर्माना के रूप में दण्डित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त समाचारपत्रों के पंजीयन नियम 12 (केंद्रीय नियम,1956) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी नियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1000/- रूपये तक जुर्माना स्वरूप दण्डित किया जाएगा।

दिनांक 23 मई, 2002 के जी.एस.आर. के संदर्भ में 15 नवम्बर, 2018 से वार्षिक विवरणी न जमा कराने का जुर्माना एतद् द्वारा 1000/- रूपये प्रति वर्ष की दर से बढाया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हिमानी सारद

(हिमानी सारद)
उप प्रेस पंजीयक (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उप प्रेस पंजीयक (पंजीयन) के निजी सहायक।
2. सहायक प्रेस पंजीयक (एन.पी.सी.एस.)
3. सहायक प्रेस पंजीयक (प्रशासन)
4. सहायक प्रेस पंजीयक (पंजीयन.)
5. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
6. आर.1
7. आर.2
8. आर.3
9. शीर्षक अनुभाग
10. एन.पी.सी.एस.
11. एन.आई.सी.
12. हिन्दी अनुभाग

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ :-</u>

1. प्रेस पंजीयक के निजी सहायक (पी.आर., डी.जी.)
2. अपर प्रेस पंजीयक के निजी सहायक
3. एम.यू.सी.अनुभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

1.

No.4/DPR (RNI)/2018
O/o Registrar of Newspapers for India
(M/o Information & Broadcasting)

11th October, 2018

OFFICE ORDER

As per the Section 19D of the Press and Registration of Books Act, 1867, it is the duty of the publisher of every newspaper to furnish to the Press Registrar an Annual Statement in respect of the newspapers and as per Section 19K, for contravention of Section 19D, the publisher shall be punishable with the fine which may extend to 500 Rupees.

Further, Rule 12 of the Registration of Newspapers (Central Rules 1956) provides that contravention of any of the provisions of the rules shall be punishable will a fine which may extend to 1000 rupees.

In light of the Subs by GSR.241 (E) dated 23rd May, 2002 the penalty for non submission of Annual Statement is hereby enhanced to a maximum of Rs.1000/- per year with effect from 15th November, 2018.

This issues with the approval of Competent Authority.

(Himani Sarad)
Deputy Press Register (Admin)

Copy to:-

1. PA to DPR (R)
2. APR (NPCS)
3. APR (A)
4. APR (R)
5. SO (A)
6. R-I
7. R-II
8. R-III
9. Title Section
10. NPCS
11. NIC
12. Hindi Section- Copy for translation

Copy also for information to:-

1. PA to PR (Pr. DG), RNI
2. PA to Addl. PR
3. MUC Section, M/o Information & Broadcasting, Shastri Bhawan, New Delhi